

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1095  
08 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएँ

1095. श्री रमेश चन्द्र मांझी

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पाँच वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) द्वारा चलाए जा रहे इस्पात संयंत्रों में औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) क्या इस्पात संयंत्रों में सूचित की गई इन दुर्घटनाओं के पश्चात् इन औद्योगिक दुर्घटनाओं संबंधी कोई विस्तृत वार्षिक या आवधिक रिपोर्ट तैयार की गई है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान राऊरकेला इस्पात संयंत्र में होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) विगत पाँच वर्षों के दौरान राऊरकेला इस्पात संयंत्र में घायल हुए कामगारों और कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): सेल के संयंत्रों/इकाइयों में औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए उपायों का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हाँ। पिछले वर्ष के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं के लिए कारण-वार, स्थान-वार, आयु-वार, शिफ्ट-वार विस्तृत विश्लेषण किया गया है और इन विवरणों को एक वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसे इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक सबक के रूप में सभी संयंत्रों/इकाइयों के बीच परिचालित किया गया है। प्रत्येक दुर्घटना के लिए जाँच और इसके मूल कारणों का विश्लेषण किया गया है और इन दुर्घटनाओं के दोहराव से बचने के लिए सिफारिश किए गए उपायों को कार्यान्वित किया गया है। की गई कार्रवाई की विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा भी की जाती है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसके निष्कर्षों को अन्य संयंत्रों/इकाइयों के साथ भी साझा किया जाता है।

(घ): राऊरकेला इस्पात संयंत्र में पिछले पाँच वर्षों के दौरान हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं (घातक एवं रिपोर्ट योग्य) का विवरण **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

(ङ): अधिनियमों/सांविधियों के प्रावधानों तथा कंपनी की नीतियों/नियमों के अनुसार राऊरकेला इस्पात संयंत्र के घायल कामगारों तथा कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे तथा अन्य सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम/ईएसआई अधिनियम, जो भी लागू है, के अनुसार अनुज्ञेय मुआवजा/लाभ।
- हालांकि यह एक सांविधिक दायित्व नहीं है, नियोजन के दौरान तथा इसके कारण होने वाली दुर्घटना के कारण कर्मचारी की मृत्यु अथवा स्थायी कुल निःशक्तता के मामले में पात्र आश्रितों में से एक को अनुकंपा आधार पर रोजगार; कार्यस्थल के परिसर के भीतर (परियोजना कार्य के लिए शामिल लोगों सहित) नियोजन के दौरान तथा इसके कारण होने वाली दुर्घटना की वजह से किसी संविदा श्रमिक की मृत्यु के मामले में उसके/उसकी आश्रितों में से किसी एक को रोजगार।
- राऊरकेला इस्पात संयंत्र/ईएसआई द्वारा चिकित्सा सुविधा।
- यदि आश्रितों के लिए रोजगार का विकल्प न चुना गया हो (जोकि रोजगार के एवज में है), तो स्थायी कुल निःशक्तता तथा मृत्यु के मामले में पूर्व-कर्मचारी/पूर्व-कर्मचारी के आश्रितों के लिए कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ईएफबीएस) के अंतर्गत लाभ।
- पूर्ण रूप से निःशक्त कर्मचारी के लिए जीवन बीमा योजना/कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (एलसीएस/ईडीएलआई) योजना के अंतर्गत लाभ।

\*\*\*\*

**औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपाय**

सेल प्रबंधन संयंत्रों/इकाइयों के सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार करने के लिए वचनबद्ध है। किए गए कुछ प्रमुख सुरक्षा उपाय निम्नलिखित हैं:-

- i. सेल ने अपने संयंत्रों के लिए 15 प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है।
- ii. भिलाई इस्पात संयंत्र में दो वर्षों की अवधि के लिए “सुरक्षा प्रबंधन संबंधी परामर्श कार्य” के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति।
- iii. ओएचएसएस-18001 का प्रमाणन और बाद में आईएसओ-45001 ओएचएसएमएस प्रणाली को अपनाना।
- iv. दुर्घटनाओं से प्राप्त सीख पर सुरक्षा चेतावनी संदेश (एसएम) तैयार करना। आज तक जारी 18 एसएम निम्नवत् हैं:-

- आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा चौकसी,
- ग्रिंडर सुरक्षा,
- रखरखाव के दौरान क्रेन की सुरक्षा,
- डम्पर्स के प्रचालन में सुरक्षा,
- फर्नेस/ईंधन तेल के भण्डारण और प्रबंधन में सुरक्षा,
- ट्रांसफॉर्मर्स/एचवी उपकरण के रखरखाव के दौरान सुरक्षा,
- वेगन टिप्लर ड्राइव संबंधी रख-रखाव कार्य के दौरान सुरक्षा,
- लॉकडाउन की अवधि के बाद के लिए आरंभ- पूर्व सुरक्षा दिशानिर्देश,
- लो वोल्टेज उपकरण/लाइटिंग सर्किट में काम करते समय सुरक्षा,
- नाइट्रोजन श्वासावरोधन के खतरे,
- बॉयलर सुरक्षा,
- सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग तथा गति सीमा का पालन करना,
- मानक कार्य प्रक्रियाओं को तैयार करने हेतु दिशानिर्देश,
- उच्च वोल्टेज लाइनस, सर्किट, केबल, आदि में कार्य करते समय सुरक्षा चौकसी,
- टेक 5 (वैयक्तिक जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया),
- क्रेन द्वारा भार उठाते समय सुरक्षा,
- भारी मशीनरी के प्रचालन के दौरान सुरक्षा संबंधी चौकसी, और
- मचान सुरक्षा।

- v. सुरक्षा मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से सेल के संयंत्रों/यूनिटों इस्पात उद्योग में अच्छी सुरक्षा पद्धतियों की पहचान करने की प्रणाली जी-एसएपी (अच्छी सुरक्षा पद्धतियाँ) के रूप में आरंभ की गई है। अब तक परिचालित 04 जी-एसएपी निम्नानुसार हैं:-
- आर्क वेल्डिंग मशीनों में वोल्टेज कम करने वाला यंत्र।
  - संविदा कार्य आरंभ करने पहले सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग से सुरक्षा मंजूरी।
  - भिलाई इस्पात संयंत्र में आईटी आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस)।
  - आरसीबीओ (रेसिड्यूअल करेंट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन) का उपयोग।
- vi. मानव जोखिमों को कम करने के लिए नई परियोजनाओं में नवीनतम और अत्याधुनिक नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- vii. लागू किए गए सभी सांविधिक नियमों और विनियमों का पालन करना।
- viii. सुरक्षा प्रबंधन के लिए निरंतर आधार पर व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर देना (समय पर अनुपालन और समीक्षा के साथ आंतरिक/ बाह्य सुरक्षा जांच, निरीक्षण करना)।
- ix. सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देश, एसओपी और एसएमपी (मानक प्रचालन और रखरखाव प्रक्रिया) एचआईआरए (खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन) दस्तावेज आदि और आवधिक समीक्षा/ अद्यतन करना।
- x. बहु एजेंसियों से युक्त पूंजी मरम्मतों/प्रमुख ब्रेकडाउन मरम्मतों के दौरान खतरनाक कार्यों के लिए प्रोटोकाल कार्य प्रणाली में प्रवेश का अनुपालन।
- xi. संयंत्र आंगतुकों की सेफ्टी ब्रीफिंग के लिए एक सुरक्षा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।
- xii. संबंधित कारखाने के निरीक्षालय द्वारा अनुमोदित कार्यस्थल पर आपातकालीन स्थिति से निपटने की योजना तैयार करना और आवधिक मौक ड्रिलों का आयोजन करना।
- xiii. मानक प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रियाओं, सुरक्षित कमीशनिंग प्रक्रिया आदि का पालन करना।
- xiv. संविदागत कर्मचारियों को गेट पास जारी करने से पूर्व अनिवार्य दो दिवसीय प्रवेश प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर जॉब सुरक्षा प्रशिक्षण। संविदागत कर्मचारियों के लिए जन जागरुकता कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
- xv. संविदागत कर्मचारियों द्वारा परियोजना कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान सख्त निगरानी।
- xvi. संविदागत कर्मचारियों सहित सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं द्वारा सुरक्षा जागरुकता का प्रसार करना।
- xvii. जाँचसूची के अनुसार सुरक्षा और अग्नि रोकथाम निरीक्षण आयोजित करना और निर्धारित मानदंडों से विचलन को परिसमाप्त करना।

- xviii. संविदागत कर्मचारियों सहित सभी संबंधितों द्वारा कार्य विशिष्ट वैयक्तिक संरक्षक उपकरण (पीपीई) का प्रयोग सुनिश्चित करना।
- xix. दृश्य-श्रव्य अलार्म सहित ऑनलाइन गैस मॉनीटर की व्यवस्था/गैस-संभावित क्षेत्रों में स्थायी और सुवाह्य सीओ संसूचकों का प्रयोग और जागरूकता का प्रसार करने के लिए समय-समय पर गैस सुरक्षा प्रशिक्षण।
- xx. समय-समय पर गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) द्वारा पाइपलाइन की स्थिति की निगरानी करना और क्षतिग्रस्त भागों को ढँकने (क्लैडिंग)/प्रतिस्थापन के संबंध में समय पर कार्रवाई के लिए प्रलेखन।
- xxi. रेल व सड़क सुरक्षा, मशीन गार्डिंग, उचित कार्य मचानों और रेलिंग्स, प्रकाश-व्यवस्था आदि के संबंध में आवधिक मुहिम/अभियान चलाना। सुरक्षा मानकों के उल्लंघनकर्ताओं को पहचानने के लिए 'रोको-टोको' अभियान चलाना।
- xxii. सुरक्षा, संकेतकों, पोस्टरों, नारों, करने और न करने योग्य बातों आदि का प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन। रेलरोड क्रॉसिंग पर दृश्य-श्रव्य अलार्म और संकेतकों को लगाना।
- xxiii. दुर्घटना के मामलों को जाँच-पड़ताल, नियर मिस/खतरनाक घटना के मामलों सहित सभी घटनाओं का विश्लेषण/समीक्षा और नियंत्रण के उपाय करना।
- xxiv. सुरक्षा संबंधी सुझावों और नियर मिस की रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन आईटी पहलें।
- xxv. पूरे संयंत्र में सुरक्षा अनुवीक्षण और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग।
- xxvi. सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गेट पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और साथ-ही-साथ मोबाइल वैन का प्रयोग।
- xxvii. विभाग में विभागीय सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की निगरानी और कार्यान्वयन की प्रणाली को सशक्त करना।
- xxviii. व्यवहार आधारित सुरक्षा (बीबीएस) का कार्यान्वयन और निगरानी।
- xxix. विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा।
- xxx. अच्छे सुरक्षा प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को पारितोषित करना।

\*\*\*\*

#### **अनुलग्नक-2**

राऊरकेला इस्पात संयंत्र में वर्ष 2016 से 2020 के दौरान घटी औद्योगिक दुर्घटनाओं (घातक+प्रतिवेदन योग्य) का ब्यौरा				
2016	2017	2018	2019	2020
5	5	8	6	1

\*\*\*\*